

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
सोशल आडिट: परीक्षण के बिन्दु/ड्राफ्ट प्रतिवेदन
(सोशल आडिट टीम हेतु)

ग्राम पंचायत विकास खण्ड

जनपद राज्य - उत्तर प्रदेश

वर्ष : (जिस वर्ष के कार्यों का सोशल आडिट किया जा रहा है) :

(खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भरा जाना है)

क्र.सं.	बिन्दु	सूचना
1.	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	SECC-11 में चिन्हित परिवारों की संख्या	
2.1	स्थायी पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थायी पात्रता सूची में अनुसूचित जाति / जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थायी पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
3.	स्थायी पात्रता सूची में शामिल परिवारों की सूची	सूची संलग्न है
4.	वित्तीय वर्ष 2018-19 के चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
5.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है	
5.1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिन आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.3	आवास अपूर्ण होने का कारण	
6.	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
7.	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
8.	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई	
9.	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण	

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर : 1. 2. 3.

4. 5.

आवास की गुणवत्ता कैसी है—असंतोषजनक या सामान्य या उत्कृष्ट।	पट्टे की भूमि पर यदि आवास निर्मित हो तो क्या स्थल उपयुक्त है?	क्या आवास प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अनियमित रूप से कोई धनराशि की मांग या धनराशि लिए जाने की शिकायत है?	निर्मित आवास में स्वयं/परिवार निवास कर रहा है अथवा नहीं	क्या दूसरी/तीसरी किश्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई? यदि हाँ, तो विवरण।
10	11	12	13	14

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर : 1. 2. 3.
4. 5.

क्या लाभार्थी ने आवास निर्माण हेतु डी.आर.आई. ऋण सहित कोई बैंक ऋण लिया है?	लाभार्थी द्वारा लिया गया अन्य ऋण।	प्रदत्त सहयोग सेवाएँ।	शौचालय हेतु धनराशि प्राप्त करने का माध्यम		शौचालय निर्मित है या नहीं? यदि नहीं तो विवरण।
			बैंक खाता	सामग्री के रूप में	
15	16	17	18		19

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर : 1. 2. 3.
4. 5.

क्या लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परिियोजनाओं से लाभान्वित किया गया है?	लाभार्थी की मनरेगा से आवास निर्माण में स्वयं द्वारा काम करने पर आकृशल श्रमिक के रूप में 90 दिन का श्रमांश की घनराशि न मिलना	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की स्थिति (प्रस्तुत कर दी गई है या अभी प्रस्तुत की जानी है)	क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉ, तो क्या शिकायत का सही और समय से निराकरण हुआ है?	लाभार्थी के हस्ताक्षर
24	25	26	27	28

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर : 1. 2. 3.
 4. 5.

सोशल आडिट के दौरान सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के नाम

- नामों में प्राथमिकता—
1. श्रमिक महिला (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / सामान्य)
 2. अन्य महिला (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / सामान्य)
 3. श्रमिक पुरुष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / सामान्य)
 4. अन्य पुरुष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / सामान्य)

क्र० सं०	नाम	पिता / पति का नाम	मोबाइल न०
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			